

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा "A++" ग्रेड प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
कोनी, बिलासपुर-495009 (छ.ग.)

दूरभाष : 07752-260209, फैक्स : 07752-260154

ई-मेल : ggvr.registrar@gmail.com, वेबसाइट : www.ggu.ac.in



Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University with "A++" Grade Accredited by NAAC)

Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)

Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154

E-Mail : ggvr.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 371/बै.प्र./स्था.स./2025

बिलासपुर, दिनांक : 22-02-2025

प्रति,

समस्त सम्माननीय सदस्यगण

All Hon'ble Members

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति,

Standing Committee of Academic Council

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

बिलासपुर (छ.ग.)

Bilaspur (C.G.)

विषय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 200वीं बैठक दिनांक 21.02.2025 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

Subject :- Dispatch of minutes of 200th meeting of Standing Committee of Academic Council dated 21-02-2025.

---0---

महोदय/महोदया,

Sir/Madam

विषयान्तर्गत, दिनांक 21.02.2025 को आयोजित विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 200वीं बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अभिलेख हेतु संलग्न प्रेषित है।

Under the subject, the minutes of the 200th meeting of the Standing Committee of the Academic Council held on 21-02-2025 is enclosed for perusal and record.

आदेशानुसार/By order,

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

पृ० क्रमांक 372/बै.प्र./स्था.स./2025

बिलासपुर, दिनांक : 22-02-2025

प्रतिलिपि/Copy to :-

01. कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
The Secretary to the VC for the information of the HVC.
02. कुलसचिव के निज सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
The PA to the Registrar for information of the Registrar.
03. निदेशक, आईक्यूएसी/सहायक कुलसचिव-अकादमिक/प्रशासन/विकास/वित्त प्रभारी विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
Director, IQAC/Assistant Registrar - Academic/Administration/Development/Finance/Incharge University website for information and necessary action.
04. कार्यालय प्रति।
Office Copy.

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 200वीं बैठक दिनांक 21.02.2025 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 200वीं बैठक दिनांक 21.02.2025 को सायं 04.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो० सुधांशु रंजन महोपात्रा	सदस्य
4.	प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
5.	प्रो० सीमा राय	सदस्य
6.	प्रो० राजेन्द्र मेहता	सदस्य
7.	प्रो० सी.एस. वझलवार	सदस्य
8.	प्रो० अनुराग चौहान, प्रभारी अधिष्ठाता-कला विद्यापीठ	सदस्य
9.	प्रो० एस.सी. तिवारी	सदस्य
10.	प्रो० रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
11.	प्रो० पी.पी. मूर्ति	सदस्य
12.	प्रो० संतोष कुमार प्रजाप्रति	सदस्य
13.	डॉ० एम.एस. धपोला	सदस्य
14.	डॉ० सुबल दास	सदस्य
15.	प्रो० भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-विकास	विशेष आमंत्रित सदस्य
16.	प्रो० अमित कुमार सक्सेना, डायरेक्टर-आईक्यूएसी	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	प्रो० शैलेन्द्र कुमार, अधिष्ठाता-छात्र कल्याण	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	डॉ० सम्पूर्णानंद झा, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
19.	प्रो० ए.एस. रणदिवे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

1. प्रो० एच.एस.तिवारी
2. डॉ० गीता मिश्रा

कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारम्भ में प्रेरणादायी उद्बोधन दिया एवं तत्पश्चात् कुलपति महोदय के प्रेरणादायी उद्बोधन के पश्चात् विभिन्न विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 199वीं बैठक दिनांक 05.02.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 199वीं बैठक दिनांक 05.02.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 199वीं बैठक दिनांक 05.02.2025 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 199वीं बैठक दिनांक 05.02.2025 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

डु. श. खासि
21-02-2025

21/02/2025

विषय क्र. 03. न्यायालयिक विज्ञान विभाग द्वारा संदिग्ध दस्तावेजों की जांच और फिंगर प्रिंट पहचान के लिए परामर्श सेवायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि न्यायालयिक विज्ञान विभाग द्वारा संदिग्ध दस्तावेजों की जांच और फिंगर प्रिंट पहचान के लिए परामर्श सेवायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव एवं निर्धारित शुल्क रुपये 2,500/- का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 04. स्नातक स्तर के शैक्षिक कार्यक्रमों के उच्चतम आयु-सीमा निर्धारण एवं परीक्षण करने के लिए गठित समिति की बैठक दिनांक 03.02.2025 के कार्यवृत्त पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि स्नातक स्तर के शैक्षिक कार्यक्रमों के उच्चतम आयु-सीमा निर्धारण एवं परीक्षण करने के लिए गठित समिति की बैठक दिनांक 03.02.2025 के कार्यवृत्त एवं अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय एवं स्नातक स्तर के शैक्षणिक कार्यक्रमों से उच्चतर आयु सीमा को हटाया जाय।

विषय क्र. 05. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं Kalinga University, Naya Raipur, Chhattisgarh के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं Kalinga University, Naya Raipur, Chhattisgarh के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 06. स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने प्राप्त प्रस्ताव में यह पाया कि स्वदेश जागरण मंच के द्वारा आयोजित बैठक में देश के प्रतिष्ठित उद्यमी, प्राध्यापक, कुलपति, आर्थिक चिंतक आदि शामिल होंगे। कुलपति महोदय को स्वावलंबी योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय ज्ञान परम्परा, विकसित भारत @2047 इत्यादि विषयों के महत्वपूर्ण जानकार होने के कारण विशेष आमंत्रण दिया गया है। उपरोक्त कार्यक्रम में भागीदारी से विश्वविद्यालय में चल रहे स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना के सुचारु क्रियान्वयन में गति प्राप्त होगी।

अतः प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में कुलपति महोदय के शामिल होने संबंधी एवं आर्थिक सहयोग संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि रुपये 3,00,000/- स्वीकृत किया जाय।

डॉ. श. खन्ना
21-02-2025

21/02/2025

विषय क्र. 07. अध्ययन मंडल मानव विज्ञान और जनजातीय विकास विभाग की बैठक दिनांक 17.01.2025 द्वारा अनुशंसित B.A., B.sc (First to Fourth semester as per NEP) एवं M.A. Tribal studies (New Programme) की पाठ्यक्रम एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मंडल मानव विज्ञान और जनजातीय विकास विभाग की बैठक दिनांक 17.01.2025 द्वारा अनुशंसित B.A., B.sc (First to Fourth semester as per NEP) एवं M.A. Tribal studies (New Programme) के पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 08. अध्ययन मंडल प्राणी विज्ञान विभाग की बैठक दिनांक 14.02.2025 द्वारा अनुशंसित संशोधित यूजी की पाठ्यक्रम एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :- स्थायी समिति ने गहन विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि अध्ययन मंडल प्राणी विज्ञान विभाग की बैठक दिनांक 14.02.2025 द्वारा अनुशंसित संशोधित यूजी की पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 09. अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 20.02.2025 के कार्यवृत्त पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 20.02.2025 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय एवं अनुशंसानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विश्वविद्यालय परिसर में पेड़ पौधों की संख्या में वृद्धि एवं हरियाली को बढ़ाये जाने के लिए स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि 1000 पौधों के पौधारोपण हेतु धनराशि रुपये 16,02,250/- विश्वविद्यालय के आवर्ती मद (Recurring Head) से स्वीकृत किया जाय।

विषय क्र. 10. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय परिसर में प्राथमिक एवं माध्यमिक पाठशाला प्रारंभ किए जाने के संबंध में।

निर्णय :- विश्वविद्यालय परिसर में जरूरतमंद मजदूरों, कर्मचारियों आदि के बच्चों के बुनियादी शिक्षा हेतु प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किये जाने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय परिसर में प्राथमिक एवं माध्यमिक पाठशाला प्रारंभ किए जाने संबंधी प्रस्ताव हेतु पृथक से भवन आबंटित किया जाय, जहां अध्यापन कार्य कराया जा सके।

डॉ. ए. ए. खन्ना
21-02-2025

21/02/2025

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र .01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष जीजीवी शिक्षा मित्र संस्कार योजना का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत मसौदे एवं प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि वालेन्टियरों को 40 घण्टे काम करने पर केवल एक क्रेडिट ही प्रदान किया जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यकता पडने पर पृथक से मार्गदर्शिका/दिशा निर्देश भी जारी किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

अ. अ. रणदीप
21-02-2025

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

अ. अ. रणदीप
21/02/2025
कुलपति/अध्यक्ष